BA-2, Paper-1,
Topic- Governor (राज्यपाल)
Date - 27.07.2020
Seema Kumari, Asst. Prof. (Pol. Sc.), VKSU, RMC.

राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां :-

1. राज्यपाल यह सुनिश्चित करता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण (राज्य बजट) को राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाए।
2. धन विधेयकों को राज्य विधानसभा में उसकी पूर्व सम्मति के बाद ही प्रस्तुत किया जा सकता है।
3. बिना राज्यपाल के सहमति के किसी तरह के अनुदान की मांग नहीं की जा सकती।
4. किसी अप्रत्याशित व्यय के वहन के लिए राज्य की आकस्मिकता निधि से अग्रिम ले सकता है।
5. पंचायतों एवं नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की हर पांच वर्ष बाद समीक्षा के लिए राज्यपाल वित्त आयोग का गठन करता है।

न्यायिक शक्तियां -

1. राज्य के राज्यपाल को उस विषय संबंधी, जिस विषय पर उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराए गए ~~किसी व्यक्ति~~ के दंड क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार या लघुकरण की शक्ति होगी।
2. राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति से विचार कर सकते हैं।
3. राज्यपाल उच्च न्यायालय (High court) के साथ विचार कर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और प्रोन्नति कर सकते हैं
4. राज्यपाल राज्य न्यायिक आयोग से जुड़े लोगों की नियुक्ति भी करता है (जिला न्यायाधीश के अतिरिक्त इन न्यायाधीशों की नियुक्तियों में राज्यपाल राज्य उच्च न्यायालय और राज्य लोक सेवा आयोग से विचार करते हैं।

Scanned with CamScanner

राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति -

भारतीय संविधानुसार राज्य में भी केंद्र की तरह संसदीय व्यवस्था स्थापित की गई है। राज्यपाल को नाममात्र का कार्यकारी बनाया गया है वास्तविकता में मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद् करती है। राज्यपाल अपनी शक्ति, कार्य की मुख्यमंत्री (मंत्रिपरिषद्) की सलाह पर करता है। सिर्फ उन मामलों को छोड़कर जिसमें वह अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकता है।

राज्यपाल की संवैधानिक शक्तियों का अंदाजा लगाने हेतु अनुच्छेद 154, 163 एवं 164 के उपबंधों से समझा सकते हैं।

a] राज्य की कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल में निहित होती है। वे संविधान सम्मत कार्य सीधे उसके द्वारा या उसके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा संपन्न होंगे। (Art. 154).

b] अपने विवेकाधिकार वाले कार्यों के अलावा (Art. 163) अपने अन्य कार्यों को करने के लिए राज्यपाल को मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद् से सलाह लेनी होगी।

c] राज्य मंत्रिपरिषद् की विधानमंडल के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी होगी (Art 164) यह उपबंध राज्य में राज्यपाल की संवैधानिक बुनियाद के रूप में है।

राज्यपाल की तीन महत्वपूर्ण शक्तियां (वीटो शक्ति, अध्यादेश निर्माण, और क्षमादान शक्ति) क्रमशः :-

वीटो शक्ति -

प्रत्येक साधारण विधेयक को विधानमंडल के सदन या सदनों द्वारा पहले या दूसरे मौके में पारित कर इसे राज्यपाल के सम्मुख किया जाता है। - राज्यपाल के पास चार विकल्प है :-

1. राज्यपाल विधेयक को स्वीकृत प्रदान करके अधिनियम बन जाता है।
2. वह विधेयक को अपनी स्वीकृति के लिए रोक सकता है तब विधेयक समाप्त हो जाएगा और अधिनियम नहीं बन पाएगा।

next page →

Scanned with CamScanner